

## सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र

प्रारूप सी.एस.1ख में अनुज्ञप्ति के धारक ..... को उसकी ..... स्थित अनुज्ञप्त आसवनी (विनिर्माण भाण्डागार) से ..... भण्डारण भाण्डागार तक काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो की राशि जमा कर नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिए एतद्वारा अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाता है। यह अनुज्ञा-पत्र केवल ..... तक विधिमान्य होगा। परेषण को ..... व्हाया..... होकर उसके गन्तव्य स्थान तक ले जाया जाएगा।

(परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियाँ)

क्रमांक	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण	पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या	बल्क लीटर में मात्रा	शक्ति	प्रूफ लीटर में मात्रा
1	2	3	4	5	6

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक ..... तारीख..... को ..... पूर्वाह्न/अपराह्न में रवाना हुआ। काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो के चालान का विवरण:- जमा राशि ..... चालान क्रमांक ..... तारीख ....."

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2023 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2023

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-4/2023/वा.क.(आब.)/पांच (05).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 के उप-नियम (12) के खण्ड (ख) के (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा देशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए, जिसका छत्तीसगढ़ में विक्रय किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में आयात किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाए की फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में विहित विवरण एवं कॉलम (3) में दर्शित अनुसार निर्धारित करती है :-

## सारणी

क्र.	विवरण	फीस प्रत्येक नामपत्र (लेबल)
1	2	3
1	देशी मदिरा के नवीन नामपत्र (लेबल) पंजीकरण हेतु	रु. 1,00,000/-
2	देशी मदिरा के नामपत्र (लेबल) परिवर्तन/आंशिक संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु	रु. 1,00,000/-
3	देशी मदिरा के नामपत्र (लेबल) प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु	रु. 50,000/-

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.